न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) प्रथम, /ए.सी.जे.एम हापुड़।
उपस्थितः– श्री आदित्य जायसवाल (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (UP– 2542)
वाद सं० 1019 सन् 2022
राजेश बनाम अज्ञात

मु०अ०सं० 08/2022
अं० धारा– 279, 336, 427 भ०दं०सं०
थाना हापुड नगर जनपद हापुड़।

आदेश
अंतिम रिपोर्ट सं० 23/2022 के निस्तारण हेतु

दिनांकः– 07.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा राजेश सक्शैना द्वारा न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा यह कथन किया है कि "वादी मुकदमा द्वारा एक मुकदमा थाना हापुड़ नगर पर दर्ज कराया था उक्त मुकदमें में थाना हापुड़ नगर की पुलिस द्वारा फाईनल रिपोर्ट लगा दी गयी है उक्त फाईनल रिपोर्ट से वादी मुकदमा संतुष्ट है तथा उक्त मुकदमें को आगे चलाना नहीं चाहता है। उक्त मुकदमें को पूर्ण संतुष्टि के आधार पर समाप्त कराना चाहता है। उक्त एफ. आर. को स्वीकार करने में वादी मुकदमा को कोई आपत्ति नहीं है।" वादी द्वारा एफ०आर० स्वीकार करने की याचना की गयी है।

वादी ने न्यायालय में उपस्थित आकर अपने कथन अंकित कराये वादी ने शपथपूर्वक कथन किया कि मैने इस मुकदमें में जो एफ.आई.आर कराई थी उस पर एफ.आर लगा दी गयी है। मुझे एफ.आर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं । मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मेरी एफ.आर स्वीकार कर मुकदमा समाप्त कर दिया जाये। वादी ने अपने कथनों में मुकदमा समाप्त करने की याचना की है।

उपरोक्त वाद में दिनांक 04.01.2022 को मुकदमा मु०अ०सं० 08/2022 में, अं० धारा 279, 336, 427 भ०दं०सं० के अंतर्गत राजेश सक्शैना बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ है। कथित घटना के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि "दिनांक 30.12.2021 को रात्रि लगभग 10 बजे को वादी जब अपनी दुकान बन्द कर रहा था तभी एक महिन्दार पीकप 207 जिसका नं. यू.पी. 14 के.टी. 3724 को ड्राईवर द्वारा नशें में लापरवाही से चलाकर वादी की दुकान में टक्कर मार दी। वादी ने भागकर अपनी जान बचाई। टक्कर के कारण वादी की दुकान का फर्श टूट गया तथा नगरपालिका की लाईट को क्षति हुई। जिसके संबंध में वादी ने उक्त मुकदमा थाना हाजा पर पंजीकृत कराया था।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मुकदमा उपरोक्त मु०अ०सं०– 08/2022 आवेदक राजेश सक्शैना द्वारा पंजीकृत कराया गया था। न्यायालय द्वारा वादी को नियत तिथि पर नोटिस निर्गत किया गया था जिस पर संबंधित थाने द्वारा अदम तामील की आख्या प्रस्तुत की गयी थी तदुपरान्त प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तद्नुसार विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गयी अंतिम रिपोर्ट का भी सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि "तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल, से मु0 अ 0 सं0 08/2022 धारा 279/336/427 भादवि के साक्ष्य उपलब्ध नही हो सके। अतः अन्तिम रिपोर्ट संख्या 23/2022 मा. न्यायालय प्रेषित की जा रही है।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय का मत है कि संबंधित थाने द्वारा उक्त घटना की अंतिम रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात वादी द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा वादी की याचना स्वीकार कर न्यायहित में अंतिम रिपोर्ट सं० 23/2022 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः न्यायहित में अन्तिम आख्या सं०– 23/2022 (मु0 अ 0 सं0–08/2022) स्वीकार की जाती है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आदित्य जायसवाल
(J.O Code UP– 2542)
अपर सिविल जज (सी०डि०) प्रथम,
/ए.सी.जे.एम हापुड़।